

# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 16.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र.0सं.0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	प्रो० स्टीफन मराण्डी स०वि०स० श्री लोबिन हेन्ड्रम स०वि०स०	<p>भारत सरकार के पत्रांक- 57/05/2021-P&amp; PW(B) दिनांक- 03.03.2023 के द्वारा दिनांक- 22.12.2003 या इससे पूर्व के विज्ञापन के आधार पर नियुक्त होने वाले सभी केन्द्रीय कर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) से आच्छादित करने का निर्णय लिया है साथ ही साथ (NPS) में कठौती की राशि को सरकार एवं कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाता में वापस करने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त पत्रांक- के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति झारखण्ड राज्य के वैसे कर्मियों जिनकी नियुक्ति दिनांक- 22.12.2003 या इसके पूर्व के विज्ञापन के आधार पर नियुक्त हुये हो उनका नई पेंशन योजना (NPS) की कठौती राशि को केन्द्रीय कर्मी के भाँति झारखण्ड राज्य के कर्मियों जिनकी कठौती राशि को वापस करते हुए (GPF) सामान्य भविष्य निधि खाता में डालने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	वित्त

01.	02.	03.	04.
02-	श्री केदार हजरा स०वि०स० श्री नारायण दास स०वि०स०	<p>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिढीह पश्चिम वन प्रमण्डल के पत्रांक- 1098, दिनांक- 18.09.2021 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास झारखण्ड रॉची को इको पार्क के निर्माण प्रावक्तव्य भेजा गया है। विभागीय पदाधिकारी के लापरवाही के कारण यह योजना अबतक कार्यान्वित नहीं हो सका है।</p> <p>अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि इको पार्क सिवसिंहडीह, जमुआ को स्वीकृति देते हुए कार्यान्वित कराया जाए।</p>	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
03-	श्री दशरथ गागराई स०वि०स०	<p>सरायकेला-खरसावां जिला अन्तर्गत शहीद स्थल खरसावां को राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। पर्यटन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी की है। शहीद स्थल खरसावां के सौन्दर्यीकरण एवं संरक्षण हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति सरायकेला-खरसावां द्वारा 16 करोड़ रुपये का विस्तृत कार्य योजना (DPR) संबंधित विभाग को समर्पित किया गया है, परन्तु इस योजना को अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।</p> <p>खरसावां शहीद स्थल ऐतिहासिक महत्व का केन्द्र है। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को यहाँ विभिन्न राज्यों से लाखों लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। विशेष कर आदिवासियों के लिए यह प्रेरणा स्थल है।</p> <p>अतएव शहीद स्थल खरसावां के लिए प्रस्तावित डीपीआर को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद
04-	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स०वि०स०	विदित हो कि झारखण्ड सरकार से निर्गत पत्र जिसका पत्रांक- 6856 रॉची/दिनांक- 21.10.2008 के आलोक में ईटकी प्रखण्ड स्थापना में पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/अन्य कर्मी का पद सूजन किया गया तथा इसके अतिरिक्त ईटकी प्रखण्ड में विभिन्न	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
इन्हें लिखा गया है।	विभागों से पर्यवेक्षक एवं कर्मी अन्य प्रखण्ड से प्रतिनियुक्ति में हैं जिसका स्थापना ईटकी प्रखण्ड में नहीं है। जिस कारण गुणवक्तापूर्ण कार्यों का संचालन नहीं हो पा रहा है।	अतः अन्य प्रखण्ड से प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षकों/कर्मियों का स्थापना ईटकी प्रखण्ड में स्वीकृत करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहती हूँ।	जल संसाधन
डॉ० नीरा यादव स०वि०स० श्री अमर कुमार बाऊदी स०वि०स० श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स०वि०स०	“ कोडरमा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत महत्वाकांक्षी परियोजना ‘पंचखेरो’ जलाशय डैम वर्ष 1984 में एकीकृत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के किसानों को पटवन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से शिलान्यास की गयी थी। किसानों को पटवन/सिंचाई की सुविधा पूर्णरूपेण नहीं मिल पा रही है। इस जलाशय से पूर्व में कुछ नहर का निर्माण करायी गई थी, जो अधूरी पड़ी हुई है। जिन क्षेत्रों तक नहर की निर्माण कराकर छोड़ दी गई है वहाँ पानी के जल-जमाव होने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन फसल विहिन हो चुकी है। साथ ही जिन क्षेत्रों तक नहर के माध्यम से पानी नहीं पहुँच पाने के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई के अभाव में फसल विहिन हो गई है। जिस कारण स्थानीय कृषकों को कठिनाईयाँ हो रही हैं। दर्जनों पंचायत पानी के अभाव व जल-जमाव के कारण किसानों के समक्ष आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।	अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ कि उक्त वर्षित जलाशय योजना की निर्माण पूर्ण करायी जाय।	जल संसाधन

-::4::-

01.	02.	03.	04.
		साथ ही जल-जमाव के निस्सरण व अधूरे नहर निर्माण को पूर्ण कराने जल विहिन क्षेत्र अन्तर्गत किसानों को पटवन/सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	

राँची,  
दिनांक- 16 मार्च, 2023 ई०।

सैयद जावेद हैदर  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-०१/२०२३-...../२५३.....वि० स०, राँची, दिनांक- १५/०३/२३

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/०३/२३  
(रामअशोष यादव)  
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-०१/२०२३-...../२५३.....वि० स०, राँची, दिनांक- १५/०३/२३

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुभाष/-

अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

१५/०३/२३  
अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।  
१५/०३/२३  
अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।  
१५/०३/२३